ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-10* November- 2020
Innovation The Research Concept

नागपुर के भोंसला राज्य की न्याय व्यवस्था : एक ऐतिहासिक विवेचन (1742–1853 ई.) (सतपुड़ा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)

The Judicial System of Bhonsala State of Nagpur: A Historical Interpretation (1742-1853) (With Special Reference to The Satpura Region)

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 26/11/2020, Date of Publication: 27/11/2020

गीतांजली सरयाम
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
राजकीय स्वायत्तशासी पी.जी. कॉलेज, छिंदवाड़ा, भारत

सारांश

सन् 1742 ई. मध्यभारत के राजनीतिक इतिहास में परिवर्तन का काल माना जाता है। इस वर्ष नागपुर में बरार के मराठा (भोंसला) राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। भोंसला शासकों ने यहाँ लगभग 112 वर्षों तक राज किया। उनके इस विशाल राज्य में सतपुड़ा क्षेत्र के बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाड़ा और बैतूल जिलों का भू–भाग शामिल था। भोंसला राजा प्रायः युद्धों तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे। फलस्वरूप राज्य की प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गये। भोंसलों की न्याय संबंधी कोई निश्चित पध्दति नहीं थी। राज्य न्यायालयों एवं लिखित कानूनों का अभाव बना रहा। वस्तुतः मराठों की न्याय प्रणाली अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की भांति सुसंगठित नहीं थी।

नागपुर के प्रशासनिक एवं न्यायिक इतिहास में न्यायिक कार्यों को संपादित करने वाले अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। उनकी कार्यशैली सदैव असंतोषजनक रही। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसका न्याय अंतिम होता था। भोंसला राज्य में पंचायतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की प्राचीन परम्परा बनी रही। राज्य की दण्ड व्यवस्था लचीली एवं कठोरता लिये हुये थी। कोड़े लगाना, अर्थदंड, कारावास, अंग–भंग तथा गंभीर अपराधों पर मृत्युदण्ड का प्रावधान होता था। न्याय के क्षेत्र में भेदभाव की नीति प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त घूंस, भेंट और कृपा द्वारा भी न्याय प्राप्त किया जा सकता था। यह अकाट्य सत्य है कि नागपुर के भोंसला राज्य की न्याय प्रणाली महंगी और कष्टदायक बनी रही।

The year 1742 AD is considered a period of change in the political history of Madhya Bharat. This year, the Maratha (Bhonsala) dynasty of Berar established power in Nagpur. The Bhonsala rulers ruled here for about 112 years. In this vast state of his, the territory of Balaghat, Seoni, Chhindwara and Betul districts of Satpura region was included. The Bhonsala kings were often engaged in war and their own interests. As a result, many faults have arisen in the administrative and judicial system of the state. Bhonsal had no definite system of justice. Lack of state courts and written laws remained. In fact, the justice system of the Marathas was not as organized as that of the British justice system.

In the administrative and judicial history of Nagpur, there is a detailed mention of many officers and employees who perform judicial functions. His style of work was always unsatisfactory. The king was the supreme officer of justice, his justice was final. The ancient tradition of obtaining justice through the panchayats continued in Bhonsala state. The penal system of the state was flexible and rigorous. There was a provision for imposing whip, penalty of imprisonment, imprisonment, mutilation and serious offenses. The policy of discrimination was prevalent in the field of justice. Apart from this, justice could also be achieved by punch, offering and grace. It is an irrefutable truth that the Bhonsla State justice system of Nagpur remained costly and painful.

मुख्य शब्द : नागपुर, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास ।
Nagpur, Judicial System, Political and Cultural History.

प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में वहाँ के भू–भाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मध्यप्रदेश राज्य में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला विध्यांचल पर्वत श्रेणी के समानान्तर पूर्व से पश्चिम की और फैली हुई है। इसे दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और अमरावती जिले हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला में मध्यप्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बैतूल, पूर्वी निमाड़ तथा बड़वानी जिलों का समावेश है।

इतिहास

मध्यकाल में सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग में देवगढ़ नामक विषाल राज्य था। यहाँ गोंड राजवंश का शासन था। इस राजवंश का संस्थापक जाटवा[1] प्रथम (1570–1620) माना जाता है। उसके वंशजों में कोकशाह प्रथम, जाटवा द्वितीय, कोकशाह द्वितीय, बख्तबुलन्द[2] एवं चांद सुल्तान के नाम से विशेष उल्लेखनीय हैं। इन गोंड राजाओं ने 1570 से 1742 ई. तक देवगढ़ राज्य पर शासन किया। इस अवधि में इस राज्य की सीमायें मध्यभारत के विशाल भू–भाग में विस्तारित थी।

1739 ई. में देवगढ़ के अंतिम शासक चांद सुल्तान की मृत्यु हो गयी।[3] उसके देहावासन के उपरान्त उसके पुत्रों में राजगद्दी को लेकर उत्तराधिकार कर युध्द छिड़ गया। उस समय सतपुड़ा पर्वतश्रेणी के दक्षिण में बरार राज्य स्थित था। इस राज्य का शासक रघुजी प्रथम था। वह एक प्रभावशाली मराठा सरदार था। उसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर देवगढ़ राज्य पर अधिकार कर लिया। नागपुर को भोंसला राज्य की राजधानी बनाया। भोंसला राज्य के योग्य तथा प्रभावशाली राजाओं में रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, मुधोजी (अप्पा साहेब) तथा रघुजी तृतीय[4] विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने यहाँ लगभग 112 वर्षो तक राज्य किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक तथा न्यायिक सुधारों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे।

न्याय व्यवस्था का स्वरूप

नागपुर की भोंसला शाही में विधि तथा न्याय प्रशासन की कोई सुव्यवस्थित प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके प्रशासनकाल में तो न्यायालयों की विशेष व्यवस्था थी और न ही उस समय कोई लिखित कानून थे।[5] 1776 ई. में भोंसला शासक मुधोजी ने केवल छोटे–छोटे निर्णयार्थ एक न्यायालय स्थापित किया। संभवतः यह मराठा राज्य के प्रमुख अधिकारी सूबेदार (मामलतदार) के दरबार में कार्य करता था सदर अदालत कहा जाता था। इस अदालत में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों का विवरण देते हुये इतिहासकार प्रभाकर गद्रे ने लिखा है – ''इसमें दरोगा, मुख्य सहायक मुत्सद्दी, 4 वकील, 10 चपरासी और हरकारे थे।'' दारोगा की वार्षिक 600 रू. मुख्य सहायक की वार्षिक 240 रू. 10 चपरासियों को वार्षिक 360 रू. तथा हरकारों को 97 रू. वार्षिक मिलते थे।[6]

राजा राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसका निर्णय अंतिम होता था। राजा के अतिरिक्त सूबेदार (मामलतदार) कमाविसदार ग्रामीण क्षेत्रों में कही पटेल तो कहीं सेठिया या गोटिया न्यायदान का कार्य करते थे। मराठा न्याय व्यवस्था में सदर अमीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मराठों के पूर्व यह एक ''धर्मशासत्री'' का पद होता था। वास्तव में धर्मशासत्री का ही अनुवाद सदर अमीन होता था। वह मुख्यतः धार्मिक विवादों में 'शासत्रों के आधार पर राजकीय मत व्यक्त करता था। इसका उल्लेख मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के इतिहास में मिलता है। यहाँ के राजा निजामशाह (1748–1775) के दरबार में शिवराम मिश्र तथा प्रेम निधि ठाकुर धर्मशास्त्री के पद कर कार्यरत थे । इसके पश्चात् यहाँ मराठा सत्ता स्थापित हो जाने के बाद इसी परिवार के मणिकलाल ओझा, जो प्रखर बुध्दि वाले विद्वान माने जाते थे, मराठे न्याय व्यवस्था में ''सदरअमीन'' नियुक्त हुये थे। यह स्मरणीय है कि न्यायिक क्षेत्र में सदर अमीन भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पद था। इतिहासकार डॉ. सुरेश मिश्र ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि– ओझा परिवार की विद्वता का मराठा 'शासकों को पूरा–पूरा लाभ हुआ होगा इसमें संदेह नहीं।[7]

न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली

न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों के कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। न्याय के लिये निचित अपील पध्दति नहीं थी। दीवानी और फौजदारी मामले के लिये अलग–अलग अधिकारी नहीं थे। न्यायिक मामलों में निर्णय लेने का तरीका भी संक्षिप्त होता था। जिन तथ्यों पर निर्णय दिया जाता था वे अपूर्ण हुआ करते थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रायः गलत ही होते थे।[8]

कमाविसदार अपराध से संबंधित विस्तृत विवरण सूबेदार को भेजता था। सूबेदार को मृत्युदण्ड देने का अधिकार मानता था। मराठा शासन के न्याय अधिकारी लालची होते थे। न्याय या सुरक्षा की उनको विशेष चिंता नहीं रहती थी। यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय है कि नागपुर के राजा के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को सरलता से न्याय मिल जाता था लेकिन सूबा शासन के अन्तर्गत न्याय बहुत मंहगा और कष्टदायक हो गया था।

न्याय के क्षेत्र में भेदभाव की नीति भी प्रचलित थी। यदि कोई ब्राम्हण किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति की हत्या कर देता था तो उसके लिये अपराधी को केवल जुर्माने की सजा दी जाती थी, किन्तु इसके विपरीत यदि कोई निम्न वर्गीय व्यक्ति किसी ब्राम्हण की हत्या कर देता था तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। ब्राम्हण, गोसाई और वैरागी जाति के लिये मृत्युदण्ड नहीं था। उन्हें केवल कैद और जुर्माने की ही सजा दी जाती थी। औरतों को भी प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था। इस तरह कानून में समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता था।[9] सरकारी अधिकारियों पर अन्य कार्यों का इतना अधिक बोझ था कि वे न्यायिक कार्यों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं

दे पाते थे। अपराध प्रकाश में आने पर ही अपराधी न्याय के दायरे में आते थे। जाँच का ढंग भी, अपूर्ण एवं असंतोषजनक था। बड़े अधिकारी जनता की पहुँच से बाहर थे। भोंसला शासनकाल में भेंट या घूंस और कृपा के द्वारा भी न्याय प्राप्त किया जाता था। इसके अनुसार गोटिया पीड़ित व्यक्ति सेठिया या गोटिया अपने पड़ोसी को ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाता था जिसकी पहुँच सरकार तक होती थी।[10]

दण्ड व्यवस्था

भोंसलाकालीन न्याय व्यवस्था एवं दण्ड व्यवस्था शासत्र एवं सनातन परम्परा पर आश्रित थी। दण्ड कभी क्रूर तो कभी उदार होता था। कोड़े लगाना, अर्थदण्ड, अंगभंग करावास तथा गंभीर अपराध करने पर मृत्युदण्ड का प्रावधान होता था। न्यायिक शुल्क ''शुकराना'' कहलाता था। 5 से 10 रू. तक की फीस ''भात मसाला'' कहलाती थी।[11]

पंचायत व्यवस्था

मराठे स्थानीय परम्परागत न्याय व्यवस्था में विष्वास करते थे। अतः उन्होने स्थानीय ग्राम पंचायत और जात पंचायत को कायम रखा।[12] सिविल मामले केवल पंचायत द्वारा ही निर्णीत होते थे। जिसमें ग्राम से चुने गये कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। पंचायतों के निर्णय को लोग ईश्वर का निर्णय मानकर स्वीकार करते थे। गांव के पटेल तथा जनता द्वारा निर्वाचित कुछ विशेष प्रकार के मामलों में निर्णय देते थे। जबकि कुछ जातियों के प्रमुख, जिन्हें सेठिया कहा जाता था अपनी ही जाति में उठने वाले कुछ विवादों का फैसला करते थे। पटेल छोटे–छोटे दण्डिक मामलों में जुर्माना कर सकते थे, किन्तु समस्त महत्वपूर्ण दण्डिक मामलों की सुनवाई शासकीय कर्मचारियों के समक्ष ही होती थी।

न्याय की सुसंगठित एवं विनियमित पध्दति न होने के कारण पंचायतों में पंचो की मर्जी या सनक धन अथवा प्रभुता द्वारा प्रभावित हो सकती थी। जाति अथवा निम्न स्तर की पंचायतों में पंचों की प्रसन्नता के लिये, भोजन, पान, नृत्य तथा गीत आदि की व्यवस्था भी हुआ करती थी। इस कारणवश कभी–कभी पंचायतों की कार्यवाहियों तथा निर्णयों में विकृति भी आ जाती थी। श्री विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है कि– इस प्रकार जेनकिन्स को एक नवीन न्याय प्रणाली की पुर्नस्थापना का बहाना अथवा अवसर प्राप्त हो गया।

इस प्रकार पंचायतें विशेषतः सिविल मामलों में, कुछ हद तक भोंसला तथा सिंधिया 'शासकों की न्याय व्यवस्था का एक अंग थी। राजकीय न्यायालय तक पहुँचना बहुत खर्चीला था, इसलिये पंचायतें ही लोकप्रिय थी।[14]

निष्कर्ष

नागपुर के भोंसला राजवंश के लगभग 112 वर्षों के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भोंसला शासक प्रायः स्वार्थ सिध्दि और युध्दों में लगे रहे अतः प्रशासकीय कार्यों में उनकी उदासीनता ने न्यायिक प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भ्रष्ट बना दिया। न्याय एवं दण्ड व्यवस्था शासत्र एवं सनातन परंपरा पर आश्रित थी। दण्ड कभी उदार तो कभी क्रूर होता था। यह भी सत्य है कि राज्य में गंभीर अपराधों की संख्या नगण्य थी। प्राचीन काल से चली आ रही पंचायत व्यवस्था बनी रही। जनसामान्य को पंचायत की न्याय प्रणाली पर बहुत भरोसा था।

भोंसला न्याय व्यवस्था के संबंध में इतिहासकारों में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। कुछ इतिहासकार भोंसला न्यायप्रणाली को सस्ता एवं सुलभ मानते हैं तो कतिपय विद्वान मंहगी एवं कष्टदायक बनाते हैं। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि भोंसला प्रशासन मुख्यतः मध्यकालीन सिध्दान्तों पर आधारित था और वह राज्य की जनता के लिये कष्टप्रद बना रहा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *रसल, आर.वी.:– सेण्ट्रल प्रॉविन्सेस डिस्ट्रिक्ट गेजटियर, छिन्दवाड़ा 1907 पृ. 30*
2. *शुक्ल, प्रयागदत्त :– अरण्य की संस्कृति नागपुर 1963 पृ. 53*
3. *रसल, आर.वी.:– वही –*
4. *गद्रे, डॉ. प्रभाकर :– मराठा आधिपत्य में गढ़ा मण्डला 2007 पृ. 233*
5. *श्रीवास्तव, पी. एन :– मध्यप्रदेश जिला गजेटियर नरसिंपुर 1972 पृ. 283*
6. *गद्रे, डॉ. प्रभाकर :– नर्मदा मण्डल में कम्पनी राज 2009 पृ. 124*
7. *मिश्र, डॉ. सुरेश :– मण्डला का ओझा परिवार, शोध साधना 1995 पृ. 67–71*
8. *एगन्यु, सेण्ट पी वान्स :– ए रिपोर्ट ऑन दि सूबा ऑफ छत्तीसगढ़ 1820 शासकीय प्रकाशन पृ. 42*
9. *वर्मा, भगवानसिंह :– छत्तीसगढ़ का इतिहास (प्रारंभ से 2000 ई.) 2007 पृ. 68*
10. *सिन्हा, आर.एस. :– भोंसला ऑफ नागपुर पृ. 94*
11. *माहेश्वरी, आर.जी :– षुक्ल अभिनन्दन ग्रंथ विविधखण्ड 1955 नागपुर पृ. 84*
12. *गद्रे, डॉ. प्रभाकर :– मराठा आधिपत्य में गढ़ा मण्डला 2007 पृ. 160*
13. *एगन्यु, सेण्ट पी वान्स :– – वही पृ. 41 –*
14. *जेनकिन्स :– नागपुर के भोंसला राज्य में ब्रिटिश रेजीडेन्ट था।*
15. *श्रीवास्तव, पी. एन :– वही पृ. 283*